>

Title: Need to implement strict norms to check the exoribitant rates of interest being charged by Micro Finance Companies from the poor people in the country.

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): अध्यक्ष महोदय, देश में कई मॉइक्रोफाइनेन्स कम्पनियां गरीबों को वित्तीय सहायता देने के नाम पर मालामाल हो रही हैं। गरीबी एक बड़ी और संगठित धन्धा बन गई है। यह मॉइक्रोफाइनेन्स कम्पनियां सिर ऊंचा करके यह भी कहती हैं कि हम गरीबों को गरीबी सेवा से ऊपर लाने में मदद कर रहे हैं जबकि गरीबों का शोषण करने के सिवाय और कुछ नहीं कर रही हैं।

महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि इन कम्पनियों को गरीबों से अत्यधिक ब्याज दर पर कर्ज देना न्यायोचित कैसे ठहरा रखा है, जबकि वह निर्धनतम व्यक्ति से वसूली जाती है। यह ब्याज दर 24 प्रतिशत तक होती है, जो वसूली के समय तक चक्रवृद्धि ब्याज के कारण 35 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। यदि माइक्रोफाइनेन्स निचले स्तर के गरीब को ऊपर उठाने का दावा करता है तो मुझे यह आश्चर्य होता है कि अभिजात्य वर्ग के लिए इतनी ब्याज दर क्यों नहीं रखी जाती है। मैं माइक्रोफाइनेन्स के 30 से 35 प्रतिशत तक ब्याज दर को नहीं समझ पा रहा हूँ। उन हालात में जबकि एक किसान को फसली ऋण 7 प्रतिशत पर मिलता है, जबकि एक महिला को ऋण चुकाने के लिए 30 प्रतिशत ब्याज वसूला जाता है। क्या इन माइक्रोफाइनेन्स कम्पनियों की इस अति पर रिजर्व बैंक का ध्यान नहीं है? यह लूट-खसोट हर हाल में बंद होनी चाहिए तथा इन माइक्रोफाइनेन्स कम्पनियों पर सख्त नियम लागू करना चाहिए तथा दोषी कम्पनियों पर कार्यवाही की जानी चाहिए। यह मेरी माँग है। धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री अशोक अर्गल।